संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)–2015 हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रिया

संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2015 के आधार पर अभ्यर्थियों को संस्था व पाठ्यक्रम का आवंटन उनके द्वारा दिये गये विकल्पों, वरीयताक्रम व आरक्षण के आधार पर आनलाईन काउन्सिलिंग द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु अभ्यर्थी साईबर कैफे, स्वयं के कम्प्यूटर से अथवा परिषद द्वारा विभिन्न जनपदों में स्थापित 73 सहायता केन्द्रों में से अपने लिए निर्धारित केन्द्र पर जाकर काउन्सिलिंग प्रक्रिया पूरी कर सकता है। अभ्यर्थी काउन्सिलिंग शिड्यूल का भली–भाँति अध्ययन कर लें एवं विभिन्न प्रक्रियाओं को ससमय पूर्ण कर लें।

प्रक्रिया :–

1. काउन्सिलिंग शुल्क जमा करने से पूर्व समस्त अर्ह अभ्यर्थी काउन्सिलिंग पोर्टल http://jeecup.nic.in पर उपलब्ध गत वर्ष की कटआफ मेरिट का परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लें कि उसकी रैंक को निर्धारित शिड्यूल के अनुसार सीट आवंटन की सम्भाव्यता क्या होगी।
2. सत्र 2015 की काउन्सिलिंग में सम्मिलित की जा रही समस्त संस्थाओं/पाठ्यक्रमों एवं उनकी वर्ग एवं उप वर्गवार प्रवेश क्षमता का विवरण पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है।
3. संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2015 के परिणाम घोषित होने के उपरान्त अर्ह अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट jeecup.org अथवा jeecup.nic.in पर उपलब्ध लिंक Counseling fee - 2015 पर जाकर नेटबैकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड द्वारा आनलाइन माध्यम अथवा चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में रू0 250 + बैंक चार्जेज (नानरिफण्डेबल) जमा कर सकते हैं।
4. एक बार काउन्सिलिंग शुल्क जमा हो जाने के उपरान्त शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी को वर्ष–2015 की काउन्सिलिंग के समस्त चरणों हेतु पुनः काउन्सिलिंग शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
5. अभ्यर्थी काउन्सिलिंग पोर्टल पर अपने लिए निर्धारित सहायता केन्द्र की जानकारी अपना अनुक्रमांक डालकर प्राप्त कर सकता है।
6. काउन्सिलिंग शुल्क जमा करने के 48 घण्टे बाद अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से पोर्टल पर काउन्सिलिंग शुल्क अपडेट की स्थिति जांचनी होगी। यदि

अभ्यर्थी का शुल्क वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है तो अभ्यर्थी परिषद के टोल फ्री हेल्पलाईन नं0 1800–180–5259 पर सम्पर्क कर त्रुटि का निराकरण करायेगा।

7. पोर्टल पर काउन्सिलिंग शुल्क प्रदर्शित होने के उपरान्त अभ्यर्थी अपने न्यूनतम अर्हता व आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र अपलोड करेगा।
8. समस्त अभ्यर्थी अपने अभिलेख अपलोड करने के पश्चात विकल्प चयन तिथि से 24 घण्टे पूर्व अपने डाक्यूमेंट अपलोड की स्थिति ज्ञात कर यह सुनिश्चित कर लें कि सहायता केन्द्र द्वारा उनके अभिलेखों का सत्यापन कर दिया गया है।
9. यदि पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा त्रुटिपूर्ण अभिलेख/प्रमाण–पत्र अपलोड हो गया है तो अभ्यर्थी स्वयं उस प्रमाण–पत्र को परिवर्तित नहीं कर पायेगा। अभ्यर्थी अपने लिए निर्धारित सहायता केन्द्र पर सही अभिलेख के साथ प्रस्तुत होकर सहायता केन्द्र प्रभारी की मदद से प्रमाण–पत्र को अपलोड करायेगा।
10. *यदि अभ्यर्थी के डाटा में कोई त्रुटि है तो अभ्यर्थी किसी भी सहायता केन्द्र पर जाकर आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत कर त्रुटि सुधार करवा सकता है।
11. अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किये गये प्रमाण–पत्रों का आनलाइन वेरीफिकेशन जनपद में बनाये गये सहायता केन्द्रों पर किया जायेगा। जिसके लिए अभ्यर्थी को सहायता केन्द्र पर तब तक जाने की आवश्यकता नही है जब तक कि उसे सहायता केन्द्र द्वारा बुलाया न जाये।
12. आनलाइन वेरीफिकेशन के समय यदि अभ्यर्थी के अभिलेख त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी को एस0एम0एस0 पहुँचेगा जिससे अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर उक्त सहायता केन्द्र पर पहुँच कर त्रुटि का निराकरण करवा सकता है।
13. त्रुटि निराकरण न कराने की दशा में अभ्यर्थी काउन्सिलिंग हेतु पात्र नहीं माना जायेगा। त्रुटि का निराकरण हो जाने पर अभ्यर्थी को ओ0टी0पी0 प्राप्त हो जायेगा।
14. आनलाइन वेरीफिकेशन के समय अभ्यर्थी के अभिलेख सही पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नं0 पर एस0एम0एस0 से वन टाइम पासवर्ड (ओ0टी0पी0) पहुँचेगा जिसका प्रयोग कर अभ्यर्थी विकल्प चयन करेगा।
15. विकल्प चयन हेतु निर्धारित तिथि तक यदि अभ्यर्थी को ओ0टी0पी0/पिन प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी RESEND OTP/ PIN में जाकर नया पिन प्राप्त करेगा।

16. अभ्यर्थी को प्राप्त ओ0टी0पी0/पिन को गोपनीय रखा जाना चाहिए ताकि किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
17. अभ्यर्थी विकल्पों का चयन निर्धारित तिथियों में कर विकल्प सुरक्षित (save) कर सकेगा एवं निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व विकल्प लॉक करेगा। अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्पों, मेरिट व आरक्षण के आधार पर संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन किया जायेगा।
18. अभ्यर्थी द्वारा आवंटन की सूचना परिणाम घोषणा (Result Declaration) हेतु निर्धारित तिथि को काउन्सिलिंग वेबसाईट से स्वयं प्राप्त की जायेगी।
19. यदि अभ्यर्थी को राजकीय अथवा अनुदानित संस्था में सीट का आवंटन होता है तो सिक्योरिटी शुल्क हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व रू0 3000 + बैंक चार्जेज जमा करने के 24 घण्टे के उपरान्त काउन्सिलिंग वेबसाईट से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित संस्था में प्रवेश ले सकेगा।
20. यदि अभ्यर्थी को निजी संस्था आवंटित होती है तो अभ्यर्थी को सिक्योरिटी शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी परिणाम घोषणा के उपरान्त पोर्टल से सीधे आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित संस्था में प्रवेश ले सकेगा।
21. प्रवेश न लेने की दशा में रू0 3000 सिक्योरिटी शुल्क वापस नहीं किया जायेगा परन्तु यदि अभ्यर्थी को अगली काउन्सिलिंग में पुनः सीट का आवंटन होता है तो उसे दोबारा सिक्योरिटी शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्व में जमा किये गये सिक्योरिटी शुल्क नये आवंटन के विरूद्ध समायोजित कर दिया जायेगा परन्तु निजी संस्था आवंटित होने पर सिक्योरिटी शुल्क वापस नहीं की जायेगी।
22. आवंटन पत्र प्राप्त करने के पश्चात अभ्यर्थी को निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व आवंटित संस्था में पहुँच कर अपने न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, आरक्षण एवं अन्य वांछित प्रमाण–पत्र तथा निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेश सुनिश्चित करना होगा।
23. सीट आवंटित न होने की दशा में अभ्यर्थी उसी काउन्सिलिंग के अगले समस्त/किसी भी चरण में अथवा अगली काउन्सिलिंग में तब तक प्रतिभाग कर सकता है जब तक कि उसे कोई सीट आवंटित न हो जाये।
24. काउन्सिलिंग से आवंटित ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी वर्तमान सीट को छोड़कर अगली काउन्सिलिंग में किसी अन्य संस्था/पाठ्यक्रम का चयन करना चाहते हैं, को परिषद की वेबसाईट पर पुनः रजिस्ट्रेशन कराना होगा ताकि

उनकी सीट को आवंटन की एक विशेष प्रक्रिया एस0ए0सी0 (Seat Against Cancellation) के आधार पर अन्य अभ्यर्थियों को प्रदर्शित किया जा सके।

25. यदि कोई संस्था/पाठ्यक्रम आवंटित अभ्यर्थी एस0ए0सी0 हेतु रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो वह किसी भी दशा में काउन्सिलिंग के अगले चरण में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा।

26. एस0ए0सी0 रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थी को यदि दिये गये विकल्पों के आधार पर नई सीट आवंटित होती है तो उसे पूर्व में आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी, जिस पर उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को पूर्व आवंटित सीट पर नये अभ्यर्थी को भी प्रवेश दिया जायेगा।

27. प्रवेशित अभ्यर्थी को नई सीट आवंटित न होने की दशा में पूर्व आवंटित सीट बची रहेगी। काउन्सिलिंग के अगले चरण हेतु निर्धारित तिथि तक एस0ए0सी0 रजिस्ट्रेशन न करने की स्थिति में प्रवेशित अभ्यर्थी काउन्सिलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा।

28. अनावंटित अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के अगले चरण के लिए पुनः रजिस्ट्रेशन व काउन्सिलिंग शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे निर्धारित शिड्यूल के अनुसार अपनी सीटों का विकल्प भर सकेंगे।